

राजस्थान सरकार

( कायदा - 129 )

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/151

किरम मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128	86/24	5/4/2024	DATE 9/5/24	18/4/2024

अनवान

श्री बनाराम 5/0 श्रीलाल हाफड

श्री शंकरलाल 5/0 कन्हैयालाल हाफड

निवासी गणेशपुरा

निवासी गणेशपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रеспोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री मनीष हाफड

श्री .....

# FORM NO. III

## फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

विरम मुकदमा - .....दानश्याम..... बनाम .....शंकरलाल.....  
 दिनांक 11-12-24 नम्बर 86 / 2024

तारीख हुवम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/4 /2024	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18./4./2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>	315
18/4/24	<p>पत्रावली पेश हुए। अभियन्ता बंदी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. वॉरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 9/4/24 को वास्ते 3 दिने पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी</p>	
9/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिकार प्रार्थी उपस्थित / विपक्षीयता की तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में माहिर पृष्ठ से लिखवाए गए, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तस्वीलदार बिजौलियां को पत्रावली के लिए लिखा उन्हें। पत्रावली फिलहाल शुमार होकर, उम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 86/24

तारीख दायर 5/4/24

1-घनश्याम पुत्र घीसीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

2-शंकरलाल पुत्र घीसीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

-प्रार्थीगण

बनाम

1-शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

2-छीतर पुत्र ऊकार जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

3-कैलाश पुत्र मोडा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

4-भंवरलाल पुत्र सेवा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

5-दुदा पुत्र नंदा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

6-प्रभुलाल पुत्र ऊकार जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

7-भैरू पुत्र अमरा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

8-नन्दलाल पुत्र रोडू जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

9-प्रभुलाल पुत्र नोला जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा



-: आदेश :-

दिनांक 09/05/24

प्रार्थना पत्र घनश्याम ने जरिये अभिभाषक श्री मनीष धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम भूति पटवार क्षेत्र उमाजी का खेडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 169 आराजी नंबर 571/167 रकबा 1.1655 हैक्टेयर भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 207-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेडा को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस

₹ 100/- रुपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम भूति पटवार क्षेत्र उमाजी का खेडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 169 आराजी नंबर 571/167 रकबा 1.1655 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ  
जिला भीलवाडा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 86/24

तारीख दायर 05/4/24

प्रेषिति :- तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 86/24 पत्थरगढ़ी बाबत।

- 1-घनश्याम पुत्र घीसीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 2-शंकरलाल पुत्र घीसीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1-शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 2-छीतर पुत्र ऊकार जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 3-कैलाश पुत्र मोडा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 4-भंवरलाल पुत्र सेवा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 5-दुदा पुत्र नंदा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 6-प्रभुलाल पुत्र ऊकार जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 7-भैरू पुत्र अमरा जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 8-नन्दलाल पुत्र रोडू जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी भूति तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 9-प्रभुलाल पुत्र नोला जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राज.)

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा  
ग्राम भूति पटवार क्षेत्र उमाजी का खेडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उमाजी  
का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या  
169 आराजी नंबर 571/167 रकबा 1.1655 हैक्टेयर भूमि की बशमलात  
पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य  
का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में  
वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक  
सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस ~~24000~~ /-रुपये  
वक्त पत्थरगढी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं  
पडौसीयान को सूचित करते हुये पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उप सहायक अधिकारी  
बिजौलिया (भीलवाडा)

